

के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

In view of the CIL guideline on determination of seniority in case of Non -Executive Cadre employees of CIL and its subsidiaries circulated vide reference no. CIL/C-5B/JBCCI-X/SC/Determination of Seniority/33 dated 11-02-2021, the aforementioned employee are directed to report for his duty on promotion at the earliest and not later than 30 days of issue of this order. **If the concerned employee does not join within 30 days of the issuance of office order, the same shall stand cancelled.**

सम्बंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोइनिंग रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाही हेतु इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित की जाय।

The concerned GM / HOD of the Department (Disciplinary Authority as per Certified Standing Orders of the Company) is to ensure that the joining to the promoted post is accepted only if there is no departmental disciplinary case pending against the concerned employee only after which this promotion would be effected. Their joining report to the promoted post must be forwarded to this office immediately, for further necessary action at this end.

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

सौम्या सिंह
06/03/25

(सौम्या सिंह)

उप प्रबन्धक (का-कर्म.स्था)

सीसीएल: राँची

वितरण:-

1. महाप्रबंधक, सीसीएल, बरका-सयाल/कुजू/उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र।
2. निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
3. महाप्रबंधक (कार्मिक-कर्मचारी स्थापना), सीसीएल, राँची।
4. अमला अधिकारी (कार्मिक), सीसीएल, बरका-सयाल/कुजू/उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र।
5. क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, सीसीएल, बरका-सयाल/कुजू/उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र।
6. श्रमशक्ति सहायक, कर्मचारी स्थापना विभाग, सीसीएल, राँची।
7. संबन्धित कर्मचारी (द्वारा- महाप्रबंधक-संबन्धित क्षेत्र)।
8. संबन्धित संचिका।